

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी:- कैलाश चन्द गुर्जर, उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

प्रकरण संख्या- 48/2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

1. नरेन्द्रपाल सिंह पिता श्री दशरथ सिंह चुण्डावत जाति राजपूत आयु बालिग निवासी कोलपुरा हा0मु0 रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।
2. भानुप्रताप सिंह पिता श्री दशरथ सिंह चुण्डावत जाति राजपूत आयु बालिग निवासी कोलपुरा हा0मु0 रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।
3. श्रीमती पदमावती पत्नि श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत जाति राजपूत आयु बालिग निवासी कोलपुरा हा0मु0 रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।

.....प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा।

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :- श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत।

दिनांक:- 19.05.2022

-:आदेश:-


प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम मौजा कोलपुरा, प0ह0 मण्डेसरा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्मत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 62 खंसरा सं. 189, 190, 191 कुल किता 03 कुल रकबा 2.1300 है0 लगानी 10.68 रूपये प्रार्थीगण के नाम पर सहखातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि खंसरा सं. 189, 190, 191 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थीगण के बीच कृषि आराजीयात पर आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीगण की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया- प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में दिनांक 10.05.2022 को जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मौजा कोलपुरा, प0ह0 मण्डेसरा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्मत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 62 खंसरा सं. 189, 190, 191 कुल किता 03 कुल रकबा 2.1300 है0 लगानी 10.68 रूपये प्रार्थीगण के नाम पर सहखातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/-रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.05.2022 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़